

प्रेस-विज्ञप्तिथाना-फूलपुर

25 हजार का ईनामिया लूटेरा, लूट के 10,500 रुपये नगद व लूट के पैसे से खरीदे गये दो

अदद मोबाईल रेडमी (किमती 20 हजार रुपये) बरामद

दिनांक 29.7.2019 को श्री उमाशंकर जायसवाल पुत्र शिवकुमार जायसवाल

निवासी करबा फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा कार सवार अज्ञात बदमाशों द्वारा खुद की मोटर साईकिल में टक्कर मार कर गिरा देना व बैग में रखा 12,2000 रुपये (बारह लाख दो हजार रुपये) बैग सहित छीन लेने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 198/19 धारा 392 भादवि बनाम कार सवार अज्ञात बदमाश पंजीकृत किया था । जिसमें दौरान विवेचना अभियुक्तगण 1. मो0 वकी खान पुत्र इन्तसार अहमद 2. रेयान पुत्र इसरार उर्फ नाटे निवासीगण छित्तेपुर थाना सरायमीर आजमगढ़ 3.अकदस पुत्र नजरे आलम उर्फ नन्हू 4. असवद पुत्र नजरे आलम उर्फ नन्हू 5. उमर पुत्र अतीकुर्रहमान निवासीगण फरिहा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ 6. वसीम पुत्र अबरार निवासी कतरा नूरपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ 7. साकिर पुत्र शाह आलम साकिन पारा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया । जिसमें से अभियुक्तगण 1. मो0 वकी खान पुत्र इन्तसार अहमद 2. रेयान पुत्र इसरार उर्फ नाटे निवासीगण छित्तेपुर थाना सरायमीर आजमगढ़ 3.अकदस पुत्र नजरे आलम उर्फ नन्हू 4. वसीम पुत्र अबरार निवासीगण कतरा नूरपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ 5. साकिर पुत्र शाह आलम साकिन पारा थाना सरायमीर आजमगढ़ विभिन्न तिथियों में गिरफ्तार किये गये व मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित कुल 6,58000 रुपये इन लोगो से बरामद किये गये थे । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त से धारा 392 भादवि को विलोपित करते हुये धारा 395/412/325 भादवि को समावेशित किया गया । मुकदमा उपरोक्त में शेष अभियुक्तगण असवद पुत्र तब्बूल उर्फ तालिब ,उमर पुत्र अतीकुर्रहमान निवासीगण फरिहा थाना निजामाबाद आजमगढ़ घटना के बाद से लगातार फरार चल रहे थे । अभियुक्तगण उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार उसके मिलने छिपने के सम्भावित स्थानों पर दबिश की कार्यवाही की जा रही थी । परन्तु अभियुक्तगण लगातार पुलिस से लुक छिपकर फरार चल रहे थे । जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा 25-25 हजार रुपये का ईनाम पूर्व में घोषित है । अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु एस0टी0एफ0 लखनऊ शाखा से भी अनुरोध किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित/ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु विवेचक प्र0नि0 श्री रत्नेश कुमार सिंह द्वारा एस0टी0एफ0 लखनऊ को सहयोग करने हेतु रिपोर्ट प्रेषित किया गया था । उक्त के क्रम में

उ०नि० संतोष कुमार सिंह मय हमराहियान मुतैना एस०टी०एफ० लखनऊ द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त 1. असवद पुत्र तब्बूल उर्फ तालिब साकिन फरिहा थाना निजामाबाद आजमगढ़ को थाना नौपाडा मुम्बई क्षेत्र अन्तर्गत हरि निवास सर्कल से स्थानीय पुलिस बल के सहयोग से दिनांक 25.2.21 को समय 19.00 बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया था । जिसकी सूचना थाना स्थानीय को प्राप्त हुआ था ।

पूछताछ का विवरण - गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि लूट के पैसे में से कुल 1,55,000 रुपये मुझे मिले थे । जिससे वह अपना खर्च चला रहा था । उसी लूट के पैसे से मैंने 2 अदद मोबाईल रेडमी जो 20,000 रुपये लिया था और उसमें से 10,500 रुपये बचे थे । जिसे आप लोगो ने बरामद कर लिया है।

सम्बन्धित मुकदमा

मु०अ०सं० 198/19 धारा 395/412/325 भादवि थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ।

अपराधिक इतिहास

1. मु०अ०सं० 198/19 धारा 395/412/325 भादवि थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ।
2. मु०अ०सं०-93/20 धारा 174 ए भादवि थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त

असवद पुत्र तब्बूल उर्फ तालिब साकिन फरिहा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

बरामदगी

1. लूट के 10,500 रुपये नगद
2. लूट के पैसे से खरीदे गये दो अदद मोबाईल रेडमी (किमती 20,000 रुपये)

गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली टीम

1. उ०नि० श्री उ०नि० संतोष कुमार सिंह एस०टी०एफ० लखनऊ
2. हे०का० जावेद आलम सिद्धिकीएस०टी०एफ० लखनऊ
3. हे०का० कवीन्द्र साहनीएस०टी०एफ० लखनऊ
4. हे०का० चन्द्रप्रकाश मिश्राएस०टी०एफ० लखनऊ
5. हे०का० मृत्युन्जय कुमार सिंहएस०टी०एफ० लखनऊ
6. हे०का० राशंकर यादवएस०टी०एफ० लखनऊ